

प्रेषक,
जी०बी० ओली,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग,
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज एवं ग्रा० अभि०से०अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 7 सितम्बर, 2017
विषय:- ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 12 ग्रामीण सड़क निर्माण योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-313/निर्माण-2TC/2015, दिनांक 31.07.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में स्वीकृत संलग्नक के कालम 3 में उल्लिखित 12 ग्रामीण सड़क निर्माण योजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्नक के कालम-6 में उल्लिखित विवरणवार कुल रु० 2,00,00,000/- (रुपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुए आपके निर्वर्तन पर रखने/नियमानुसार निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-847/XXVII(1)/2016 दि० 26 जुलाई, 2016 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदों में व्यय किया जाय।
2. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किस्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।
4. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगण का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
5. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
6. आपके निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि सम्बन्धित शाखाओं को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
7. आहरण वितरण अधिकारी तथा कोषाधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी०एम०-प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।

8. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केवल उन कार्यों में ही व्यय किया जाय, जिन योजनाओं की वित्तीय/भौतिक प्रगति अच्छी है। अनारम्भ तथा कम प्रगति वाले कार्यों पर कदापि खर्च न किया जाय।
9. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से नियुक्त कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।
10. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id..... है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।
11. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-1638/XXX-1-12(25)2011, दि0-08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-19 के लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, -103-ग्राम्य विकास-03-ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज(451500-800-04 से स्थानान्तरित)-24-बृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

3- यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जी0बी0 ओली)
अपर सचिव।

संख्या: 115 (R R D D) (1)/XII-2/2017/01(04)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (ए एण्ड ई) ओबराय भवन सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), वैभव पैलेस सी-1/105 इन्दिरा नगर देहरादून।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग/वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोमपाल)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या-115 (PRRD) /XII-2/2017/01(04)/2016, दिनांक 7 सितम्बर, 2017 का संलग्नक

क्र० सं०	प्रखण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹लाख में)	पूर्व में उपलब्ध करायी गयी धनराशि (₹लाख में)	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि (₹लाख में)
1	2	3	4	5	6
1.	उधमसिंह नगर	शान्तिपुरी में 1200 मी० सी०सी० मार्ग बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।	120.00	25.00	16.00
2.	उधमसिंह नगर	ग्राम छतरपुर के डेरे से शमशानघाट तक सड़क निर्माण।	52.17	25.00	10.00
3.	टिहरी	मोलठी से ग्राम नकोट (जुवा) तक मोटर मार्ग का निर्माण।	103.35	25.00	15.00
4.	हरिद्वार	मेवड कला मेन सड़क से पिरान कलियर इमली खेड़ मार्ग तक सड़क का निर्माण।	53.00	25.00	28.00
5.	पौड़ी	संगलकोटी-गुठिंडा मोर मार्ग से जू०हा० स्कूल गवांणा से ग्राम गवांड तक मोटर मार्ग का निर्माण।	65.85	25.00	15.85
6.	देहरादून	ग्राम सभा बाडावाला में एन०एच० 507 से 8 न० अनुसूचित जाति बस्ती की ओर मोटर मार्ग।	160.39	25.00	15.00
7.	देहरादून	ग्राम भुड्डी में आन्तरिक सड़कों का निर्माण।	71.42	25.00	25.00
8.	पौड़ी	पोखरा संलग्नाकोटी-मेवा गांव मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम चलकुड़िया तक ग्रामीण मार्ग का निर्माण।	33.15	5.00	28.15
9.	भिकियासैण	जी०आई०सी० सोली मैडानी मोटर मार्ग से धात तराड़ तक मोटर मार्ग।	388.95	5.00	15.00
10.	भिकियासैण	मरचूला डोटियाल मोटर मार्ग से टुकरा इंजीनियरिंग कॉलेज तक मोटर मार्ग।	233.36	5.00	10.00
11.	टिहरी	थापला के मुख्य मोटर मार्ग सुरी धार पसेलसारी मोटर मार्ग निर्माण।	206.33	5.00	12.00
12.	टिहरी	मैड के मैड तल्ला से उपला मैड तक मोटर मार्ग का निर्माण।	204.32	5.00	10.00
		कुल योग	1692.29	200.00	200.00

(रूपये दो करोड़ मात्र)

(सोमपाल)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, RES (S039)

आवंटन पत्र संख्या - 115 (22500) /XII-2/2017/01(04)/2016

अनुदान संख्या - 019

अलोटमेंट आई डी - S1709190014

आवंटन पत्र दिनांक -11-Sep-2017

HOD Name - Director Rural Roads & Drainage (4201)

1: लेखा शीर्षक 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 00 -
103 - ग्राम्य विकास
03 - ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज (451500-800-04 में स्थानान्तरित)
00 - 0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted योग
24 - वृक्ष निर्माण कार्य	0	20000000	20000000
	0	20000000	20000000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 20000000